न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 134/2011

1 माईलाल पुत्र स्व. सुखराम उम्र 82 साल जाति मेघवंशी निवासी ग्राम स्यालू कलां तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।

अपीलांट

बनाम

1 महावीर पुत्र दुरजाराम उम्र व्यस्क जाति मेघवंशी निवासी स्यालू कलां तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
2 जीताराम पुत्र दुरजाराम उम्र व्यस्क जाति मेघवंशी निवासी स्यालू कलां तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
3 जोगेन्द्र पुत्र दुरजाराम उम्र व्यस्क जाति मेघवंशी निवासी स्यालू कलां तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
4 मृतक मातुराम पुत्र गणपत जाति मेघवंशी निवासी स्यालू कलां तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं। (फौतगी 01.09.2019)
4/1 ग्यारसी उम्र 64 साल पुत्री स्व. मातुराम पत्नी गुगनराम जाति मेघवंशी निवासी उरीका तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।
4/2 श्रीमती मनोहरी उम्र 58 साल पुत्री स्व. मातुराम पत्नी कैलाश
4/3 श्रीमती सुमित्रा उम्र 56 साल पुत्री स्व. मातुराम पत्नी रामसिंह
समस्त जातियान मेघवंशी निवासी अणगासर तहसील व जिला झुन्झुनूं।
4/4 दरिया सिंह उम्र 60 साल पुत्र स्व. मातुराम
4/5 धर्मपाल उम्र 54 साल पुत्र स्व. मातुराम
4/6 मनड़ी उर्फ मुनिया उम्र 64 साल पत्नी स्व. पोलाराम (पुत्रवधू स्व. मातुराम)
4/7 पवन उम्र 44 साल पुत्र पोलाराम (पौत्र स्व. मातुराम)
समस्त जाति मेघवंशी निवासी स्यालू कलां तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।

प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

4/8 सुशीला पुत्री स्व. पोलाराम पत्नी राजेश जाति मेघवंशी निवासी जसवंतपुरा तहसील राजगढ़ जिला चुरू।
5 सरोज पत्नी सज्जन कुमार उम्र व्यस्क जाति नायक निवासी सेही कलां तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
6 कुनणी देवी पत्नी बालाराम उम्र व्यस्क जाति नायक निवासी चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
7 उपपंजीयन अधिकारी सूरजगढ़ उपतहसील सूरजगढ़ हाल तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
8 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
9 मृतक माडुराम पुत्र धन्नाराम जाति मेघवाल निवासी जालिमपुरा पोस्ट कालियासर तहसील व जिला झुन्झुनूं।
9/1 सुगना पत्नी स्व. माडुराम जाति मेघवाल निवासी जालिमपुरा पोस्ट कालियासर तहसील व जिला झुन्झुनूं।
9/2 ललिता पत्नी स्व. कुरडाराम (पुत्रवधू स्व. माडुराम)
9/3 दीक्षा पुत्री स्व. कुरडाराम (पौत्री स्व. माडुराम)
9/4 प्रिया पुत्री स्व. कुरडाराम (पौत्री स्व. माडुराम)
9/5 जॉनी पुत्र स्व. कुरडाराम (पौत्र स्व. माडुराम)
समस्त जातियान मेघवाल निवासी पुराने डी.एस.पी. कार्यालय के पास चिड़ावा वार्ड नम्बर 30 तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
10 प्रतापसिंह उम्र 47 साल पुत्र माडुराम जाति मेघवाल निवासी जालिमपुरा, पोस्ट कालियासर तहसील व जिला झुन्झुनूं।
11 गुलझारी उम्र 43 साल पुत्र शंकरलाल जाति मेघवाल निवासी चिड़ावा तह. चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
12 राजकुमार उम्र 44 साल पुत्र बनवारीलाल जाति मेघवाल निवासी मुकाम पोस्ट इस्लापुर तहसील व जिला झुन्झुनूं।
13 दयाराम उम्र 57 साल पुत्र भजनाराम जाति मेघवाल निवासी बदनगढ़ तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्ट

प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 03.11.2011
द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा उनवानी
वाद माईलाल बनाम महावीर आदि दावा बाबत घोषणार्थ
रिकार्ड दुरूस्ती मु.नं. 450/2008

उपस्थिति :

1. श्री उम्मेदराज सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 12.11.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 450/2008 में पारित निर्णय दिनांक 03.11.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक वाद घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती बाबत भूमि खसरा नम्बर 14 वाके ग्राम स्यालू कलां का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट ने अपना दावा बाबत घोषणार्थ व रिकार्ड दुरूस्ती का पेश कर रखा था जिसमें अपीलान्ट अपनी पेतृक भूमि के बाबत घोषणा व रिकार्ड दुरूस्ती की रिलीफ चाही थी कि अपीलान्ट मृतक

प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

चैनाराम का उत्तराधिकारी है जिसका चैनाराम की सम्पति में 1/2 हिस्सा है जो कि ग्राम स्यालू कलां में भूमि गत खसरा नम्बर 14 रकबा 13 बीघा 2 बिश्वा पुख्ता भूमि थी जिसके खातेदार स्व. गणपत जो रेस्पोडेन्ट नम्बर 3 का दादा था व रेस्पोडेन्ट नम्बर 4 का पिता था व स्व. सुखराम जो अपीलान्ट का पिता था जो संवत 2012 की जमाबन्दी में उक्त खसरा नम्बर की भूमि में अपीलान्ट के पिता सुखराम बतौर उपकृषक 1/2 हिस्से का था इस प्रकार से अपीलान्ट विवादित भूमि में 1/2 हिस्से का टिनेन्ट व कब्जे काश्तकार है तथा लगान अदा करता आ रहा है। किन्तु सन 1961 में नामान्तकरण गलत रूप से भरा गया और उसमें अपीलान्ट के पिता को टेनेन्ट न ही माना इसके बाद में 17.9 1963 को अपीलान्ट के पिता की शिकायत पर उक्त नामान्तकरण खाजिर कर दिया गया और अपीलान्ट के पिता को विवादित भूमि के 1/2 हिस्से का टिनेन्ट व कब्जे काश्तकार मान लिया गया लेकिन राजस्व रिकार्ड में अमल बरामद नहीं हुआ और रिकार्ड से अपीलान्ट के पिता के नाम शुद्ध न ही हो सका तथा उस पर अपीलान्ट ने भी कभी ध्यान न ही दिया और मौके पर आदि भूमि को अपीलान्ट अपने पिता के समय से ही काश्त करता चला आ रहा है। जिस पर अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्टस के खिलाफ भूमि खसरा नम्बर 13 रकबा 0.75 हैक्टेयर खसरा नम्बर 14 रकबा 1.15 हैक्टेयर स्थित ग्राम स्यालू कलां में से वादी अपीलान्ट को 2 बीघा 9 बिश्वा पुख्ता जिसके वर्तमान रकबा 0.63 हैक्टेयर होता है उसका खातेदार काश्तकार घोषित करने व रिकार्ड दुरूस्ती की रिलीफ चाही गयी। उक्त उनवानी मुकदमा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा के यहां वास्ते तनकियात कायम करने हेतु मुकदमा विचाराधीन था तो रेस्पोडेन्ट नम्बर 6 ने एक आवेदन पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का पेश किया और उसमें आरोप लगाया कि अपीलान्ट ने समस्त पक्षकारान को दावे में पक्षकार न ही बनाया है तथा अपीलान्ट को राजस्व रिकार्ड के बाबत पूर्व में ज्ञान था इसलिये दावा मियाद बाहर है तथा वादी के हक में कोई वाद कारण पैदा नहीं हुआ है। इस प्रकार से आर्डर 7 रूल 11 सीपीसी के आवेदन पत्र को आधार मानकर अपीलान्ट का दावा निरस्त कर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

दिया जो विरूद्ध कानून व पत्रावली होने से निरस्त होने योग्य है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्र आर्डर 7 नियम 11 सीपीसी का आवेदन पत्र प्री–मैच्योर था क्योंकि जब तक दावे में तनकियात कायम नही कर दिये जाते है तथा तनकियात कानूनन पर साक्षी विशेष नही ली जाती है तब तक उक्त आवेदन पत्र के अ. धारा पर दावा खारिज नहीं किया जा सकता परन्तु विचारण न्यायालय ने इस ओर गौर न करने मे भारी कानूनी भूल की है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्र में अंकित कारण आर्डर 7 रूल 11 के अन्तर्गत नहीं आते क्योंकि न तो दावा मियाद बाहर है और न ही आर्डर 7 रूल 11 के तहत यह प्रावधान है कि मियाद के आधार पर दावा निरस्त किया जा सकता हो तथा पक्षकारान के अभाव में उजर जवाब दावे में उठाया जा सकता है और उसके बाद तनकियात कायम होने के बाद अगर आवश्यक हुआ तो अन्य पक्षकारान को न्यायालय पक्षकारान बनाने का आदेश दे सकता है परन्तु आर्डर 7 रूल 11 के तहत दावा निरस्त नहीं किया जा सकता परन्तु विचारण न्यायालय ने दावा खारिज करने में भारी कानूनी भुल की है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दावा अपनी पैतृक भूमि में छुटे नाम को दुरूस्ती करने हेतु पेश किया गया है और उसके सारे कारण दावे में अंकित किये है इसलिए यह नही कहा जा सकता कि वादी अपीलान्ट के हक में वाद कारण पैदा नहीं होता हो और ये तथ्य एवं कानून का विषय था जो बाद साक्ष्य ही निश्चित किया जा सकता था परन्तु विचारण न्यायालय ने बिना और किये ही अपीलान्ट वादी का वाद खारिज करने में भारी कानूनी भूल की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में डीएनजे 2024(1) रेव पेज 53, डीएनजे 2024(1) रेव पेज 687, डीएनजे 2023(2) रेव पेज 1373 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने तथ्यों को छिपाकर वाद प्रस्तुत किया है। वादी ने अपने दावा में वादी अपने तथा प्रतिवादी नम्बर 01 के पिता के मध्य विवादास्पद भूमि का हिस्सा 1/2 होना अंकित किया है जबकि रिकार्ड मिसल हकियत संवत 2018 में मुताबिक कब्जा काश्त खाता नम्बर 01 गणपत वल्द चैना के नाम से खसरा नम्बर 14/1 रकबा 8 बीघा 11 बिश्वा तथा खाता नम्बर 02 खसरा नम्बर 14/3 रकबा 4 बीघा 2 बिश्वा तथा खसरा नम्बर 15 रकबा 13 बीघा 8 बिश्वा कुल 17 बीघा 10 बिश्वा भूमि अंकित है। इसके पश्चात खातेदारी में अंकन किया गया है, जिसकी जानकारी वादी को पहले से ही थी। इस प्रकार से मुताबिक राजस्व अधिनियम वादी मिसल हकियत में दर्ज अंकन से पाबन्द है। इस कारण वर्तमान दावा का कोई वाद कारण वादी को पैदा नहीं होता है। वादी के पिता सुखराम की मृत्यु होने के बाद में फौती इन्तकाल दिनांक 02.08.1977 में सुखराम के समस्त वारिसान के नाम से वादी ने ए.आर.ओ. के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर दर्ज करवाया तथा सन 1987 में अपनी भूमि पर सहकारी विकास बैंक से लोन भी लिया। इस प्रकार से वादी को राजस्व रिकार्ड में दर्ज अंकन की पूर्ण जानकारी थी। वादी ने अपने दावा की मद संख्या 11 में कथन किया है कि दिनांक 04.09.2008 के रोज प्रतिवादी नम्बर 01 लगायत 04 द्वारा वादग्रस्त आराजियात का राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने से मना करने पर तथा दिनांक 04.09.2008 को प्रतिवादी नम्बर 01 लगायत 04 द्वारा बेचान की धमकी दी। जबकि वास्तविक तथ्य यह है कि दिनांक 27.10.2006 को प्रतिवादी नम्बर 04 के द्वारा प्रतिवादी नम्बर 05 के हक में भूमि खसरा नम्बर 14 रकबा 1.15 हैक्टेयर को वादी के माध्यम से ही विक्रय किया था तथा वादी ने प्रतिवादी नम्बर 05 के हक में विक्रय पत्र पंजीबद्ध करवाते समय स्वयं बतौर साक्षी उपस्थित होकर हस्ताक्षर किये तथा प्रतिवादी नम्बर 05 से प्रतिवादी नम्बर 04 को उक्त भूमि की विक्रय राशि दिलवायी। इस प्रकार वादी का कथन की दिनांक 04.09.2008 को राजस्व रिकार्ड की जानकारी हुई अपने आप में गलत है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

मिथ्या वादकरण के कारण एवं मियाद के बिन्दु पर वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित मानकर विचाराधीन निर्णय से आवेदन आदेश 07 नियम 11 स्वीकार कर वादी का वाद खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने तथ्यों को छिपाकर वाद प्रस्तुत किया है। वादी ने अपने दावा में वादी अपने तथा प्रतिवादी नम्बर 01 के पिता के मध्य विवादास्पद भूमि का हिस्सा 1/2 होना अंकित किया है जबकि रिकार्ड मिसल हकियत संवत 2018 में मुताबिक कब्जा काश्त खाता नम्बर 01 गणपत वल्द चैना के नाम से खसरा नम्बर 14/1 रकबा 8 बीघा 11 बिश्वा तथा खाता नम्बर 02 खसरा नम्बर 14/3 रकबा 4 बीघा 2 बिश्वा तथा खसरा नम्बर 15 रकबा 13 बीघा 8 बिश्वा कुल 17 बीघा 10 बिश्वा भूमि अंकित है। इसके पश्चात खातेदारी में अंकन किया गया है, जिसकी जानकारी वादी को पहले से ही थी। इस प्रकार से मुताबिक राजस्व अधिनियम वादी मिसल हकियत में दर्ज अंकन से पाबन्द है। इस कारण वर्तमान दावा का कोई वाद कारण वादी को पैदा नहीं होता है। वादी के पिता सुखराम की मृत्यु होने के बाद में फौती इन्तकाल दिनांक 02.08.1977 में सुखराम के समस्त वारिसान के नाम से वादी ने ए.आर.ओ. के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर दर्ज करवाया तथा सन 1987 में अपनी भूमि पर सहकारी विकास बैंक से लोन भी लिया। इस प्रकार से वादी को राजस्व रिकार्ड में दर्ज अंकन की पूर्ण जानकारी थी। वादी ने अपने दावा की मद संख्या 11 में कथन किया है कि दिनांक 04.09.2008 के रोज प्रतिवादी नम्बर 01 लगायत 04 द्वारा वादग्रस्त आराजियात का राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने से मना करने पर तथा दिनांक 04.09.2008 को प्रतिवादी नम्बर 01 लगायत 04 द्वारा बेचान की धमकी दी। जबकि वास्तविक तथ्य यह है कि दिनांक 27.10.2006 को प्रतिवादी नम्बर 04 के द्वारा प्रतिवादी नम्बर 05 के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

हक में भूमि खसरा नम्बर 14 रकबा 1.15 हैक्टेयर को वादी के माध्यम से ही विक्रय किया था तथा वादी ने प्रतिवादी नम्बर 05 के हक में विक्रय पत्र पंजीबद्ध करवाते समय स्वयं बतौर साक्षी उपस्थित होकर हस्ताक्षर किये तथा प्रतिवादी नम्बर 05 से प्रतिवादी नम्बर 04 को उक्त भूमि की विक्रय राशि दिलवायी। इस प्रकार वादी का कथन की दिनांक 04.09.2008 को राजस्व रिकार्ड की जानकारी हुई अपने आप में गलत है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने मिथ्या वादकरण के कारण एवं मियाद के बिन्दु पर वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित मानकर विचाराधीन निर्णय से आवेदन आदेश 07 नियम 11 स्वीकार कर वादी का वाद खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 12.11.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)